

पत्रांक-05 / बी01-04 / 2016

बिहार सरकार,  
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

राजीव प्रसाद सिंह रंजन,  
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना)  
मुजफ्फरपुर, आरा, लखीसराय, वैशाली एवं रोहतास।

पटना, दिनांक .....

विषय :- वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैरयोजना अन्तर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय  
अवर निरीक्षक के स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष- 02- माध्यमिक  
शिक्षा, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0002-जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा  
अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, विपत्र कोड संख्या-एन 2202020010002 के अन्तर्गत प्रखंड शिक्षा  
पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक के स्थापना मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में अंकित  
राशि रू० 6,40,43,000/- (छः करोड़ चालीस लाख तैंतालीस हजार रूपये) मात्र आपको  
संलग्न विवरणी के अनुसार अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2. विभागीय पत्रांक-93 दिनांक-13.04.16 द्वारा निरीक्षिका/निरीक्षण/जिला जन शिक्षा  
कार्यालय का जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी के विपत्र कोड-एन  
2202020010002 का विलय हो जाने के कारण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर  
निरीक्षक के स्थापना मद के लिए राशि की निकासी की जायेगी।
3. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि०-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि),  
दिनांक-08.05.2009, 423 दिनांक-31.03.2016, 2793 दिनांक-04.04.2016 एवं 4572  
दिनांक-03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
4. प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को  
ही भुगतान किया जाय।
5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही  
किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी  
एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन  
पदाधिकारी की होगी।
6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त  
कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी  
अनियमित नहीं हों।

7. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतन का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
9. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
10. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
11. राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाय।
12. इस राशि से पूर्व बकाया भुगतान किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राजीव प्रसाद सिंह रंजन),

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक:- 177

पटना, दिनांक:- 25/11/16

प्रतिलिपि:-संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कोषांग/ जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला शिक्षा पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/संबंधित सहायक प्रशाखा-05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राजीव प्रसाद सिंह रंजन  
(राजीव प्रसाद सिंह रंजन)  
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)  
सं. 1/9

वेवरणी

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक के स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन।

गण संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, तृण शीर्ष-001-निदेशक और प्रशासन, उप शीर्ष-0002-जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, विपत्र कोड-एन 2202020010002 के विभिन्न विषय शीर्ष में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों/पदाधिकारियों के वेतन भुगतान एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन।

क्रमांक	आवंटन दिये जाने वाले जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	शिकिस्ता भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन एवं भत्ते	कार्यालय व्यय	यात्रा व्यय	विद्युत प्रभार	वर्दी/पोशाक	कुल योग	अभ्युक्ति
	विपत्र कोड (कूट संख्या)	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07		13 01	11 01	13 04	13 06		
1	मुजफ्फरपुर	6825000	2000000	981000	3000	5000	9814000	0	0	0	0	9814000	2263/17.10.16
2	अर्रा	4900000	5600000	654000	15000	5000	11174000	0	0	0	0	11174000	1233/24.10.16
3	लखीसराय	3995000	4994000	290000	16000	3000	9298000	80000	12000	90000	14000	9494000	1372/4.10.16
4	वैशाली	8592000	11472000	724000	60000	45000	20893000	100000	0	0	50000	21043000	1461/21-10-16
5	रहेतास	5047000	7029000	419000	19000	4000	12518000	0	0	0	0	12518000	एन 832/02-11-16
	योग:-	29359000	31095000	3068000	113000	62000	63697000	180000	12000	90000	64000	64043000	

(छ: करोड़ चालीस लाख तैलासी हजार रुपये) मात्र ।

राजीव प्रसाद सिंह रंजन  
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
21/11/2016